पत्रावली ... पेश हो ...
तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

20-11-2020 वकील वादी उप०। तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट अप्राप्त। रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पत्रावली दि० 1-12-2020 को पेश हो।

1-12-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य~~ चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानान्तरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-1-2021 को पेश हो।

रीडर

5-1-2021 वकीलों द्वारा कार्य स्थगन। तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस हेतु पत्रावली दि० 12-1-2021 को पेश हो।

12-1-2021 पत्रावली पेश हुई/ अभिभाषक संघ ने कार्यों का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~पद रिक्त/अवकाश/भ्रमण~~ अन्य कार्यों में व्यस्त है।
पत्रावली दि० 27-1-2021 को पेश हो।

रीडर

27-1-2021 वकील वादी व लैण्ड होल्डर उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 29-1-2021 को पेश हो।

29-1-2021 वकील वादी व लैण्ड होल्डर उप०। दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादी को ख० नं० 1909/... 4910/0.14 ग्राम उदेईकलां का खातेदार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.07 12:51:08 IST
Reason: Self Attested

5.10.2016 29.1.2021

, मुसलमान, उदेईकलां (मृतक)

पुत्र अब्दुल वाहिद जाति मुसलमान

पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी बडीउदेई

पुत्र अब्दुल वाहिद तहसील गंगापुर सिटी

पुत्री अब्दुल वाहिद

बानो पुत्री अब्दुल वाहिद

बानो पुत्री अब्दुल वाहिद

बानो पुत्री अब्दुल वाहिद

ला बानो बेवा अब्दुल वाहिद ——वादीगण

बनाम

र जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, प्रतिवादी

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादी ने इस आशय का पेश किया है कि वादी को ग्राम उदेईकलां में दिनांक 28.1.1983 को भूमि साबिक ख0नं0 1437 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा राजस्व अभियान के दौरान एडवाईजरी कमेटी द्वारा आवंटित की गई थी। तभी से इस भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्ष 1983 में तहसील गंगापुर सिटी में भू–प्रबन्ध की कार्यवाही विचाराधीन थी इसलिए वादी के हक उस समय नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं हो सकी। अप्रेल 1983 में गजट नोटीफिकेशन से भू–प्रबन्ध की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। भू–प्रबन्ध में कर्मचारियों ने गलत मिलान क्षेत्रफल तैयार कर साबिक ख0नं0 1437 का केवल एक खसरा नम्बर 4910 रकबा 0.14 है0 कायम किया गया तथा बाकी 6 एयर रकबा हाल ख0नं0 4909 में दर्ज कर दिया एवं मिलान क्षेत्रफल में ख0नं0 4909 को साबिक ख0नं0 438/1 से बना गलत दिया जबकि हाल ख0नं0 4909 वादी को आवंटित भूमि साबिक का हिस्सा है। ख0नं0 4909 व 4910 सिवायचक दर्ज चले आ रहे जबकि ये दोनों नम्बर वादी की खातेदारी की भूमि है। राजस्व रिकार्ड भूमि सिवायचक दर्ज रहने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:08 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible] धारा [illegible] एल0आर0एक्ट की
[illegible] से बेदखल करना चाहता है। इस सम्बन्ध में [illegible] एक्ट के नोटिस दिनांक 22.1.2016 को प्राप्त हुए [illegible] उत्पन्न हुआ है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है [illegible] डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 4909, 4910 ग्राम [illegible] बिक ख0नं0 1437 का हिस्सा है एवं वादी की आवंटनशुदा [illegible] सिवायचक से हजफ किया जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज [illegible] प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह [illegible] भूमि से बेदखल नहीं करे।

[illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया ।

[illegible]तिवादी ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादी को ग्राम [illegible] में दिनांक 28.1.1983 को भूमि साबिक ख0नं0 1437 रकबा 1 बीघा [illegible] विस्वा राजस्व अभियान के दौरान आवंटित हुई थी। भूमि आवंटन के बाद [illegible] दिन नामान्तरकरण संख्या 1480 दिनांक 28.1.1983 निर्णित हुआ। वादी [illegible]मान्तरकरण कार्यवाही नहीं करने की बात गलत अंकित की है। साबिक [illegible] 1437 का केवल एक ख0नं0 4910 रकबा 0.14 है0 कायम किया गया [illegible] यह कहना गलत है बल्कि साबिक ख0नं0 1437 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख0नं0 4910 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 4911 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 4912 रकबा 0.18 है0 कायम किए गए हैं। साबिक ख0नं0 1438/1 से नवीन ख0नं0 4909 बनाया गया है। ख0नं0 4909 रकबा 0.06 है0 एवं ख0नं0 4910 रकबा 0.14 है0 वर्तमान में सिवायचक दर्ज है। भूमि सिवायचक होने के कारण वादी को इससे बेदखल किया जाना आवश्यक है। अतः भूमि सिवायचक होने व पैराफेरी सीमा में होने के कारण दावा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः—

1. आया भूमि साबिक ख0न0 1437 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा ग्राम उदेई कलॉ वादी को दिनांक 28.1.83 को आंवटित हुई जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं भू प्रबंध में इसका नवीन नम्बर 4909 एवं 4910 कायम कर इसे सिवायचक दर्ज कर दिया गया है? —वादी

2. आया दिनांक 22.1.16 को प्रतिवादी ने वादी को उपरोक्त भूमि से बेदखल करने हेतु नोटिस दिया है? —वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:08 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible] खा0न0 4909 एवं 4910 की खातेदारी प्राप्त कर [illegible] एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का

—वादी

[illegible] खा0न0 1437 का नवीन नम्बर 4910 रकबा 14 एयर, [illegible] 24 एयर एवं ख0न0 4912 रकबा 18 एयर कायम किये [illegible] 4909 साबिक ख0न0 1438/1 से बना है एवं ख0न0 [illegible] सिवायचक दर्ज होने एवं भूमि पेराफेरी क्षेत्र में होने के कारण [illegible] खारिज किये जाने योग्य है।

—प्रतिवादी

[illegible]

[illegible] के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 [illegible] प्रदर्श–2, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल [illegible], नकल खसरा पत्रक प्रदर्श–5, नकल नामान्तरकरण संख्या 1480 [illegible] 28.1.1983 प्रदर्श–6, असल भूमि आवंटन आदेश प्रदर्श–7, असल [illegible] धारा 91 एल0आर0एक्ट प्रदर्श–8 से प्रदर्श–18, नकल आवेदन पत्र [illegible] 14.10.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–19 प्रस्तुत की है एवं बयान [illegible] अब्दुल वाहिद कराए हैं।

प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं बयान लैण्ड होल्डर तहसीलदार कराए गए हैं।

प्रस्तुत मामले में तहसीलदार गंगापुर सिटी से वादग्रस्त भूमि ख0नं0 4909, 4910 ग्राम उदेईकलां के साबिक रिकार्ड, हाल रिकार्ड की विस्तृत स्थिति एवं भूमि की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट चाही गई। यह रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2020/2063 दि0 4.12.2020 से प्राप्त हुई जो पत्रावली में संलग्न है।

इस रिपोर्ट में तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अंकित किया है कि रिकार्ड के अनुसार ख0नं0 4909 रकबा 0.06 है0 व ख0नं0 4910 रकबा 0.14 है0 की खातेदारी सिवायचक(लगानी) किस्म बारानी जिम्मन नम्बर 1 में दर्ज है। मौके पर ख0नं0 4909 व 4910 आपस में मिले हुए हैं तथा संलग्न ट्रेस के अनुसार इनके पश्चिम में मुख्य सड़क ख0नं0 4907 गंगापुर सिटी नादौती रोड तथा पूर्व में सर (तालाब) की अलग से [illegible] किन पाल ख0नं0 4915 बनी हुई है। भूमि वर्तमान में समतल व [illegible] हुई [illegible] अब्दुल वाहिद की मृत्यु हो चुकी है। राजस्व अभियान में दिनांक 28.1.1983 को साबिक ख0नं0 1437 में से 1 बीघा 15 विस्वा भूमि इसे आवंटन हुई थी । नामान्तरकरण संख्या 1480 जो 1983 में दर्ज किया गया था जिस पर तात्कालिक तहसीलदार द्वारा यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:08 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट

... किया गया था कि आवंटन के रकबे मे एवं नामान्तरकरण के ... अन्तर है ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश में दुरूस्ती होने पर पुनः ... खोला जावे।

... विद्वान वकील वादी एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार सुनी गई।

... के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए ... कि वादी अब्दुल वाहिद को राजस्व अभियान मे दिनांक 28.1.1983 को ... साबिक ख0न0 1437 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा आंवटित हुई थी। इस ... का नामान्तकरण अब्दुल वाहिद के नाम नही खोला गया। भूप्रबन्ध के ... इसके नवीन नम्बर जो बनाये गये है उन्हे सिवायचक दर्ज कर दिया ... है। भूमि पर वादी का अलॉटमेन्ट के समय से ही निरन्तर कब्जा चला ... रहा है। अतः भूमि ख0न0 4909 एवं 4910 का वादी को खातेदार घोषित ... जावे और यह भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे।

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी बहस में ... कि साबिक ख0न0 1437 मे से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी को आंवटित हुई थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 1480 भरा गया परन्तु तत्कालीन तहसीलदार द्वारा यह लिखते हुए कि आवंटन के रकबे मे एवं नामान्तकरण के रकबे मे अंतर है ऐसी स्थिति मे आवंटन आदेश मे दुरूस्ती होने पर पुनः नामान्तकरण खोला जावे, नामान्तकरण निर्णित कर दिया गया। भूमि आज की तारीख मे सिवायचक दर्ज है एवं इसकी श्रीमानजी द्वारा चाही गई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। दावा खारिज होने योग्य है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तनकीवाइज विवेचन एवं निर्णय निम्नप्रकार है:—

<u>तनकी नं0 1</u>:—आया भूमि साबिक ख0न0 1437 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा ग्राम उदेई कलॉ वादी को दिनांक 28.1.83 को आंवटित हुई जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं भू प्रबंध में इसका नवीन नम्बर 4909 एवं 4910 कायम कर इसे सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। —वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत भूमि आवंटन आदेश दिनांक 28.1.83 प्रदर्श 7 के अनुसार अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल अजीज को खसरा नम्बर 1437 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवंटित हुई है। इस तथ्य को तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब मे एवं अपनी रिपोर्ट दिनांक 4.12.2020 मे स्वीकार किया है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 के अनुसार इस भूमि के कई नम्बर बने है। जिनमे खसरा नम्बर 4909, 4910 भी है जो नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 से साबित है। वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:08 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट ... गंगापुर

नोटिस धारा 91 एल.आर. एक्ट प्रदर्श 8 लगायत प्रदर्श 18 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त प्रमाणित होता है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:– आया दिनांक 22.1.16 को प्रतिवादी ने वादी को उपरोक्त भूमि से बेदखल करने हेतु नोटिस दिया है। —वादी

इस तनकी साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख प्रदर्श 8 से प्रदर्श 18 के अनुसार लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि ख0न0 4909, 4910 से बेदखली का नोटिस दिया गया है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3:– आया वादी वादग्रस्त भूमि ख0न0 4909 एवं 4910 की खातेदारी प्राप्त कर इन्द्राज दुरूस्ती करवाने एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। —वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। तनकी नम्बर 1 व तनकी नम्बर 2 मे किये गये विवेचन के अनुसार भूमि साबिक ख0न0 1437 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ग्राम उदेईकलॉ वादी अब्दुल वाहिद को आवंटित होना, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 के अनुसार इसके खसरा नम्बर 4909 व 4910 बनना, नकल जमाबंदी प्रदर्श 2 के अनुसार यह भूमि सिवायचक दर्ज होना, नकल नोटिस धारा 91 एल.आर. एक्ट प्रदर्श 8 से प्रदर्श 18 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा होना प्रमाणित हो चुका है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट दिनांक 4.12.2020 मे मौके पर खसरा नम्बर 4909 व 4910 आपस मे मिले हुए बताये गये है तथा भूमि वर्तमान मे समतल व जुती हुई बतायी हुई है। इन सब से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी अब्दुल वाहिद को आवंटित हुई थी परन्तु आवंटित भूमि का उसके पक्ष मे अंकन नही हुआ तथा भूमि सिवायचक दर्ज की हुई है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन पाल रही है, गैर मुमकिन पाल की भूमि धारा 16 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत वर्जित भूमि नही है, अब्दुल रहमान बनाम सरकार मुकदमे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे दर्शायी गई भूमि की किस्मों के अनुसार यह भूमि किसी नदी, नाले, तालाब के बहाव क्षेत्र मे अथवा कैचमेन्ट एरिया मे भी नही आती है। भूमि पर आवंटी का निरन्तर कब्जा भी दस्तावेजो से प्रमाणित हो रहा है। अतः वादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने, इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:08 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला मजिस्ट्रेट

... की जाती है।

... नं0 4 :— आया भूमि साबिक ख0न0 1437 का नवीन नम्बर 4910 ... एयर, ख0न0 4911 रकबा 24 एयर एवं ख0न0 4912 रकबा 18 ... किये गये है तथा ख0न0 4909 साबिक ख0न0 1438/1 से बना ... ख0न0 4909 व 4910 सिवायचक दर्ज होने एवं भूमि पेराफेरी क्षेत्र में ... के कारण वादी का दावा खारिज किये जाने योग्य है। ——प्रतिवादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर था। पत्रावली पर ... अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि सिवायचक दर्ज है। तहसीलदार ... दी गई रिपोर्ट के अनुसार भूमि ख0न0 4909 व 4910 आपस मे मिले ... है तथा मौके पर भूमि समतल व जुती हुई है। वादी द्वारा प्रस्तुत ...लेख की तनकी नम्बर 1 लगायत 3 मे किये गये विवेचन के अनुसार ...ग्रस्त भूमि वादी को आंवटित होना, भूमि पर वादी का कब्जा होना ...णित है। ऐसी स्थिति मे यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित नही होने के ...रण प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5 :— अनुतोष ।

तनकी नम्बर 1 लगायत 4 मे किये गये विवेचन के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि ख0न0 4909, 4910 को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। चूकि भूमि आवंटन के बाद से वादग्रस्त भूमि वादी के नाम दर्ज नही हुई है। अतः वादग्रस्त भूमि वादी के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज किया उचित है।

उपरोक्तानुसार तनकीवाइज किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि की गैरखातेदारी प्राप्त करने, वादग्रस्त भूमि सिवायचक से हजफ करवाने एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। वादीगण का दावा स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 4909 रकबा 0.06 है0, ख0न0 4910 रकबा 0.14 है0 ग्राम उदेईकलॉ का वादीगण को गैरखातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि सिवायचक से कम की जाकर वादीगण की गैरखातेदारी मे दर्ज की जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित भूमि से वादीगण को बेदखल करने की कार्यवाही नही करे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:08 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं ... मजिस्ट्रेट ... गंगापुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर
सत्यमेव जयते

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

...वाहिद पुत्र अब्दुल अजीज, मुसलमान, उदेईकलां (मृतक)

1.मोहम्मद राशिद पुत्र अब्दुल वाहिद

2.शाहिद खान पुत्र अब्दुल वाहिद

3.अब्दुल वसीम पुत्र अब्दुल वाहिद

4.शकीला पुत्री अब्दुल वाहिद

5.सबीला बानो पुत्री अब्दुल वाहिद

6.राशिद बानो पुत्री अब्दुल वाहिद

7.ताबीसा बानो पुत्री अब्दुल वाहिद

8.वकीला बानो बेवा अब्दुल वाहिद

जाति मुसलमान
निवासी बडीउदेई
तहसील गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादी

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –101/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम , एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 4909 रकबा 0.06 है0, ख0न0 4910 रकबा 0.14 है0 ग्राम उदेईकलॉ का वादीगण को गैरखातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि सिवायचक से कम की जाकर वादीगण की गैरखातेदारी मे दर्ज की जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित भूमि से वादीगण को बेदखल करने की कार्यवाही नही करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.1.2021 को जारी किया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:08 IST
Reason: SelfAttested